UNIT-2

प्र० राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से 1986 ने विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम सुझाए है?

उ०: प्रस्तावना :-

भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। 1948 में डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा-प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। 1952 में लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया जिसमें "राष्ट्रीय विकास के प्रति बचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब तक चल रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का सामान्य परिचय :-

कोठारी आयोग (1964-66) ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 20 जून, 1966 को प्रस्तुत की। इसके लगभग 9 माह बाद भारत सरकार ने 5 अप्रैल, 1967 को संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया और इस समिति को तीन कार्य सौंपे - पहला कोठारी आयोग के सुझावों पर गंभीरता से विचार करना, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना और तीसरा प्राथमिकताओं के आधार पर क्रियान्वन की रूपरेखा तैयार करना। समिति की यह रिपोर्ट 1968 में संसद के शीतकालीन अधिवेशन में प्रस्तुत की गई। 1968 में संसद में इस पर लम्बी चर्चा हुई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अन्तिम रूप दिया गया। 24 जुलाई, 1968 को सरकार ने इसकी विधिवत् घोषणा की।

कोठारी कमीशन (1964-66) ने इस बात को स्वीकार किया कि विकलांग बालकों का प्रवेश प्राईमरी स्तर पर कम है। हमारे देश में कई लाख विकलांग बालक शिक्षा के अवसरों से लाभान्वित नहीं होते जबकि हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक बालक को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। 1968 की शिक्षा नीति में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की सिफारिश की। इस शिक्षा नीति में सामान्य विद्यालय प्रणाली को प्रस्तुत किया गया। नई शिक्षा नीति ने विकलांग बालकों की शिक्षा पर जोर दिया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित कदम सुझाए हैं—

- विशेष विद्यालयों की स्थापना
- अध्यापकों को प्रशिक्षण
- व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
- व्यावसायिकों को प्रशिक्षण
- व्यवसायिक मार्गदर्शकों को प्रशिक्षण
- परीक्षाओं में लचीलापन
- पाठ्यक्रम में बदलाव
- अनुदेशन व्यवस्था को प्रभावी बनाना
- तकनीकी का प्रयोग
- विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

राष्ट्रीय नीति का विवरण

राष्ट्रीय नीति की मान्यता है कि विकलांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन होते है, तथा ऐसे व्यक्तियो को समान अवसरो, उनके अधिकार की सुरक्षा तथा समाज मे पूर्ण भागीदारी का प्रयास करती है। इस नीति के उद्देश्य निम्न है।—

विकलांगता की रोकथाम :—

चूंकि कई सारे मामलो मे विकलांगता को रोका जा सकता है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए बड़े प्रयास करने की आवश्यकता होगी। ऐसे रोगो की रोकथाम के लिए कार्यक्रम को काफी बढ़ावा देना होगा, जिससे विकलांगता उत्पन्न होती है और गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद होने वाली विकलांगता के लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है।

पुर्नवास के उपाय :—

पुर्नवास के उपायो को मूलत: तीन अलग-2 समूहो मे वर्गीकृत किया जा सकता है।—

(a) शारीरिक पुर्नवास रणनीति :—

विकलांगता की आरंभिक पहचान व दवा या गैर-दवा उपचारो के जरिए इसकी चिकित्सा से इन रोगो की गंभिरता को कम करने मे मदद मिलती है।

(b) परामर्श तथा मेडिकल पुनर्वास :—

अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता - "आशा" के जरिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण लोगो की स्वास्थ्य आवश्यकतो की

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

पूर्ति करता है, खासकर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को इसमें शामिल किया गया है।

२८। पुनर्वास कर्मचारियों का विकास :-

विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक मानव संसाधन की जरूरतों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा विकास योजना तैयार की जाएगी, ताकि पुनर्वास रणनीति हेतु मानव बल की कमी न हो।

विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा :-

सरकार द्वारा चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान का ६ वर्षों तक बच्चों के प्राथमिक स्कूलिंग प्रदान करने का लक्ष्य है, जिसमें ६से १५ वर्ष के बच्चे शामिल है। विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के तहत १६ से १८ वर्षों तक की आयु के विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।

विकलांग महिलाएं :-

विकलांग महिलाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, रोजगार तथा अन्य सेवाओं के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विशेष शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। विकलांगता से ग्रस्त महिलाओं में उनके बच्चों की देखभाल की गंभीर समस्या होती है। सरकार ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

विकलांग बच्चे :-

विकलांगता के शिकार बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील समूह के होते है और उन्हें विशेष

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

देखभाल की जरूरत होती है। गंभीर विकलांगता के शिकार बच्चों के लिए विकास के अधिकार तथा विशेष आवश्यकताओं व देखभाल सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। गरिमा तथा समानता के लिए विकास के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए जहां विकलांग बच्चे अपने अधिकार की प्राप्ति कर सके और विभिन्न कानूनों के अनुरूप समान अवसरों का लाभ उठाकर पूर्ण भागीदारी प्रदर्शित कर सके।

अवरोध मुक्त वातावरण :-

अवरोध मुक्त वातावरण से विकलांग व्यक्ति सुरक्षित तथा आसानीपूर्वक चल-फिर सकते है। अवरोध मुक्त वातावरण का उद्देश्य है कि विकलांग लोगों को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जहाँ वे अपनी दैनिक गतिविधियों मे बिना किसी सहायता के गमन कर सके। इसलिए जितना सम्भव हो सके सार्वजनिक स्थानों को अवरोध मुक्त रखा जाए।

विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करना :-

भारत सरकार ने विकलांगता के मूल्यांकन व प्रमाणपत्र के लिए दिशा-निर्देश जारी किये है। इसके तहत सरकार सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्ति कम से कम समय मे बिना किसी परेशानी के विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके।

सामाजिक सुरक्षा :-

विकलांग व्यक्तियों के लिए मंजूर की गई नीतियों की नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि ऐसे व्यक्तियों को आवश्यक आधार तथा अन्य

कर राहत उपलब्ध होती रहे। राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को विकलांगों के लिए पेशन राशि तथा बेरोजगार भत्ता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

अनुसंधान :-

जहां भी आवश्यक होगा, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से विकलांगों के लिए नई तकनीक के विकास के लिए अनुसंधान कार्य समन्वय किए जाएंगे। विकलांगता के मामलों को कम करने के लिए भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद के अधीन आनुवंशिक अनुसंधान,

खेल - कूद मनोरंजन तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप :-

स्थानीय NGO की सहायता से विभिन्न खेलों में विकलांग व्यक्तियों की क्षमता को पहचाने की जानी चाहिए। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समरोहों में विकलांगों के भाग लेने के लिए आवश्यक प्रणाली लागू किया जाएगा। खेल - कूद में विकलांग व्यक्तियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड का गठन किया जाएगा।

रोजगार :-

सरकार निजी क्षेत्रों के संगठनों के साथ एक बातचीत आरंभ करेगी, ताकि विकलांगों को रोजगार मिलने में मदद की जा सके। विकलांग लोगों के लिए खासकर गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए वर आधारित आय सृजन कार्यक्रम का संचालन करेगी। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में विकलांगों को शामिल किया जाएगा ताकि वे संविधान द्वारा तय 3% की उन्हें की भागीदारी मिल सके।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

समीक्षा !-

हर पांचें साल में राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन पर एक विशद समीक्षा की जाएगी। क्रियान्वयन की दशा को सूचित करने वाला एक दस्तावेज तथा पांचें सालो के लिए एक रोडमैप का निर्माण किया जाएगा जिन्हे राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन मे संपन्न किया जाएगा। राज्य नीति तथा कार्य योजना के लिए राज्य सरकारो व केन्द्र शासित प्रदेशो से अनुरोध किया जाएगा।

निष्कर्ष !-

इसमे कोई सन्देह नही कि विकलांग बालको की शिक्षा के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम युक्तियुक्त है। विकलांगो के लिए विशिष्ट स्कूलो की योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। हाल के वर्षो मे विकलांगो के प्रति समाज का नजरिया तेजी से बदला है। विकलांगो की बढ़ती योग्यता की पहचान की जा रही है और उन्हे समाज की मुख्यधारा मे शामिल किए जाने पर बल दिया जा रहा है।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

UNCRPD - 2006

Q. विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियो के अधिकारो के बारे मे संयुक्त राष्ट्र समझौता क्या है,

Ans संयुक्त राष्ट्र समझौता जिसे 'विकलांगता' समझौता भी कहा जाता है, विकलांग लोगो के मानवाधिकारो से संबंधित है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि विकलांग व्यक्तियो को भी वही अधिकार प्राप्त है जो अन्य लोगो को प्राप्त है।

मानवाधिकार क्या है? :-

ये सभी लोगो से संबंधित बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताए है - निष्पक्ष एवं समान रूप से तथा सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ बर्ताव किए जाना। मानवाधिकार ये भी दर्शाते है कि सरकार को लोगो के साथ किस प्रकार पेश आना चाहिए। ऐसे अधिकार सुनिश्चित करते है कि सभी लोग सुरक्षित रह सके और अपना सम्पूर्ण विकास कर सके।

सालामानका वक्तव्य :-

जून 1994 मे 92 सरकारो के प्रतिनिधियो ने स्पेन मे विश्व सम्मेलन आयोजित किया जिसमे सभी के लिए शिक्षा पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन मे समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया। यह सम्मेलन 7 जून से 10 जून तक हुआ। इस सम्मेलन मे एक नई कार्यवाही की रूपरेखा को स्वीकार किया गया। इसमे कहा गया है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो की नियमित विद्यालयो मे पहुंच निश्चित की जानी चाहिए।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

विकलांगता समझौता :-

दूरे विश्व भर मे, विकलांग लोगो को मानवाधिकारो पर वही पहुँच प्राप्त नही है जो अन्य लोगो को है। विकलांगता समझौता एक विश्वव्यापी मानवाधिकार समझौता है, यह विकलांग लोगो के मानवाधिकारो को स्पष्ट करता है, यह सरकारो को बताता है कि बाधाओ को किस प्रकार दूर किया जाना चाहिए और किस प्रकार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकलांग लोगो को उनके अधिकारो तक पहुँच प्राप्त हो।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर 2006 मे विकलांगता समझौते को अपनाया था। इसका उद्देश्य सभी विकलांग लोगो के लिए समान मानवाधिकारो और स्वतंत्रता को बढावा देना, इनकी सुरक्षा करना और इन्हे सुनिश्चित करना है, और विकलांग लोगो की प्रतिष्ठा के लिए सम्मान का प्रचार करना है।

विकलांग व्यक्ति कौन है?:-

समझौता उन लोगो के तौर पर परिभाषित करता है जो "दीर्घावधि, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी विकारो से ग्रस्त होते है। समझौते के अनुसार, विकलांग लोगो के विकारो और समाज के रवैये के कारण इन्हे दूसरे लोगो के समान समाज मे शरीक होने से रोका जाता है। विकलांग लोगो को नजर अंदाज करने पर समाज इन्हे अशक्त कर देता है। यदि इन्हे सम्मिलित किया जाता है तो वे संपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

सलामानका वक्तव्य तथा कार्यवाही की रूपरेखा की घोषणा !-

(1) शिक्षा एक मौलिक अधिकार है।
(2) प्रत्येक बच्चे की विशेषताए व अधिगम आवश्यकताए अद्वितीय होती है।
(3) शिक्षा व्यवस्था विभिन्नताओ को तथा आवश्यकताओ के अनुरूप
(4) समावेशी विद्यालय प्रभावशाली साधन के रूप मे।

कार्यवाही की रूपरेखा !-

कार्यवाही की रूपरेखा मे कहा गया है कि समावेशन तथा भागीदारी मानव मर्यादा मानव अधिकारो के लिए आवश्यक है। इसके लिए अवसरो की समानता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समावेशी विद्यालय मे सभी बच्चो को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमे सामान्य तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है।

कार्यवाही रूपरेखा मे निम्नलिखित भाग है!-

1. विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता से संबंधित नवीन चिन्तन।
2. राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही के लिए दिशा-निर्देश।
   (a) नीति तथा संगठन
   (b) विद्यालय कारक
   (c) शिक्षा से संबंधित व्यक्तियो की भर्ती तथा प्रशिक्षण

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

(d) प्रथम सहायक सेवाएँ
(e) वरीयता क्षेत्र
(f) समुदाय परिप्रेक्ष्य
(g) संसाधन आवश्यकता
3. क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिशा - निर्देश।
4. अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुलाकातो मे समावेश। विद्यालय के बारे मे बहस होनी चाहिए।

असमर्थ व्यक्तियो के अधिकारो पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय मे शैक्षिक प्रावधान, 2006

असमर्थ व्यक्तियो के अधिकारो पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय असमर्थ व्यक्तियो के अधिकारो तथा उनकी गरिमा की सुरक्षा करने की अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सन्धि है। यह अधिसमय असमर्थ व्यक्तियो के अधिकारो का वर्णन करता है। इस अधिसमय का प्रारूप 13 दिसम्बर, 2006 को तैयार किया गया। यह अभिसमय 3 मई 2008 को लागू हो गया। इस अभिसमय पर 160 देशो ने हस्ताक्षर किए है।

अभिसमय के सिद्धान्त :-
1. व्यक्तियो की गरिमा का सम्मान
2. भेदभाव से मुक्ति
3. समाज मे पूर्ण व प्रभावशाली भागेदारी
4. समावेशन
5. असमर्थ व्यक्तियो की गरिमा का सम्मान
6. अवसरो की समानता
7. पहुँच

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

8. पुरुष व महिलाओं के बीच समानता
9. व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान
10. स्वतंत्रता का सम्मान
11. असमर्थ बालकों के अधिकारों का सम्मान

विकलांग समझौता विशेष रूप से निम्नलिखित की पहचान करता है —

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

→ जिंदगी का अधिकार
→ आपातिक स्थितियों में सुरक्षा
→ कानून के आगे समान पहचान
→ न्याय तक पहुँच
→ व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
→ सुरक्षा का अधिकार
→ यातना अथवा क्रूरता से स्वतंत्रता
→ अमानवीय व्यवहार से स्वतंत्रता
→ दंड से स्वतंत्रता
→ शोषण एवं हिंसा से स्वतंत्रता
→ दुर्व्यवहार से स्वतंत्रता
→ व्यक्ति की सत्यनिष्ठा की सुरक्षा
→ गतिशीलता की स्वतंत्रता का अधिकार
→ व्यक्तिगत गतिशीलता का अधिकार
→ गोपनीयता के लिए सम्मान
→ घर व परिवार के लिए सम्मान
→ राजनीतिक जीवन में सहभागिता
→ सार्वजनिक जीवन में सहभागिता
→ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- पुनर्वास
- कार्य
- रहन-सहन
- सामाजिक सुरक्षा
- सांस्कृतिक जीवन
- मनोरंजन
- विश्राम
- खेल कूद में सहभागिता

अन्तराष्ट्रीय विकलांगता गठबंधन

- अन्तराष्ट्रीय विकलांगता गठबंधन (IDA International Disability Alliance) विकलांग व्यक्तियों के आठ वैश्विक और छह क्षेत्रीय संगठनों का एक संघ है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र में विकलांग लोगों और उनसे संबंधित संगठनों के लिए आर्थिक समावेशी वैश्विक वातावरण का समर्थन करता है।
- विश्व स्तर पर IDA अपने सदस्य संगठनों के साथ मिलकर दुनिया भर में अनुमानित एक अरब विकलांग लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

विकलांग व्यक्तियो के अधिकारो पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय :-

- विकलांग व्यक्तियो के अधिकारो पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCRPD एक सर्वोच्चिक संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकाल है। इसे 13 दिसम्बर, 2006 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया।
- इस वैश्विक अभिसमय का मुख्य उद्देश्य विकलांगो के अधिकारो और उन्नति को बढावा देना है, जो अन्य प्रासंगिक मानवाधिकारो एवं विकास साधनो के रूप मे विश्व कार्यक्रम (1948), मानक नियम (1994) और विकलांग व्यक्तियो के अधिकारो पर कन्वेशन (2006) के साथ-साथ एक व्यापक जनादेश के अन्तर्गत आते है।
- भारत मे भी विकलांग व्यक्तियो के अधिकारो पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए है 1 अक्टूबर, 2007 को भारत ने इसकी पुष्टि की। फलस्वरूप यह अभिसमय 3 मई, 2008 को प्रभावी हुआ।
- भारत मे 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016' (The Rights of Persons with Disabilities Bill 2016) पारित किया गया।
- विकलांग व्यक्तियो के लिए 'अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगो के पूर्ण समावेशन को सुनिश्चित करना और उनके अधिकारो, स्वतंत्रता एवं मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए विश्व की प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करना है। इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से सरकारो, विकलांग लोगो के संगठनो, नागरिक समाज संगठनो, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसियो, शिक्षा और निजी क्षेत्र को एक साथ लाया जाएगा, ताकि विकलांग लोगो के लिए वास्तविक रूप मे परिवर्तन पर कार्य किया जा सके।

निष्कर्ष :—

निष्कर्ष रूप मे हम कह सकते है कि असमर्थ व्यक्तियो के अधिकारो पर संयुक्त राष्ट्र अधिनियम मे कानूनी प्रावधान किए गए है। अधिनियम के अनुसार असमर्थ बालको को सभी स्तर पर समावेशी शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। इन बालको को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner